राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांकः निदे/डीडीसी/2012/ दिनांकः

समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान ।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान ।

विषय :--अनुबंध पर हैल्पर की अनुबंध अवधि बढाये जाने के क्रम में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के प्रारम्भ से ही दवा वितरण केन्द्रो पर संविदा फार्मासिस्टों व हैल्पर्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही योजना के अंर्तगत दवा वितरण केन्द्रो पर कम्प्यूटराईजेशन के अंतर्गत एक मशीन विथ मैन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्तमान में योजना से लाभान्वित होने वाले रोगियों की संख्या में निरंतर बढोतरी होने के कारण चिकित्सा संस्थानो में दिन प्रतिदिन कार्यभार बढता जा रहा है। परिणामस्वरूप चिकित्सा संस्थानो में और अधिक संख्या में फार्मासिस्ट, हैल्पर व मशीन विथ मैन की मांग की जा रही है।

निदेशालय के आदेश क्रमांक निदे/डीडीसी/2012/447 दिनांक 31.08.12 द्वारा संविदा हैल्पर्स की अनुबंध अवधि दिनांक 30.09.12 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये संबंधित अधिकारियों को indicative दिशा निर्देश (norms) प्रदान किये गये है कि संबंधित संस्था प्रधान इन हैल्पर्स को कार्यभार को देखते हुये जहॉ भी लगाया जाना आवश्यक हो कार्य हेतु लगा सकते है। उक्त आदेशो के क्रम में इन संविदा हैल्पर्स की अनुबंध अवधि दिनांक 31.12.12 तक बढाई जाती है।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांकः निदे/डीडीसी/2012/488 दिनांकः 24-9-12

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर एम एस सी, मुख्यालय ।
4. निदेशक (एड्स/चिप्र), निदेशालय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर ।
5. वित्तीय सलहाकार, मुख्यालय ।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर